न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

नम्बर 37 / 2024 दायर दिनांक–15.03.2024

1. रामकरण पुत्र धन्नाराम
2. राजू पूत्र धन्नाराम
3. शिवराज पूत्र धन्नाराम
4. ओमप्रकाश पुत्र धन्नाराम
5. अनिल पुत्र हीरालाल
6. विकास पुत्र सीताराम समस्त जाति कुमावत निवासी खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।

–वादीगण

1. सतरा पुत्री गोपाल
2. कमला पुत्री गोपाल
3. किरण पुत्री गोपाल
4. बजरंग पुत्र गोपाल
5. बनारसी देवी पत्नी गोपाल
6. मुन्नी पुत्री गोपाल
7. मोहर पुत्र गोपाल
8. विनोद पुत्र गोपाल
9. श्यामलाल पुत्र गोपाल समस्त जाति कुमावत निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी :– श्री सज्जन कुमार चाहर

वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत : रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक–24.01.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1352 रकबा 0.0500 है0 में वादीगण संख्या 01 लगायत 06 प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्से का खातेदार कारश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। वादीगण के पूर्वज जीवण पुत्र परसा का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु राजू, शिवराज, अनिल, ओमप्रकाश व विकास के चिफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78, नकल जमाबंदी सम्वत् 2026–30, नकल जमाबंदी [illegible] सम्वत् 2050–53 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील [illegible] वाद [illegible] में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली [illegible] एवं उपलब्ध दस्तावे[illegible] ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर दस्तावेजों के अवलोकन [illegible] भूमि वादीगण के पूर्वज [illegible] पुत्र परसा की खातेदारी की भूमि रही है त[illegible] होने के बावजूद उक्त भूमि [illegible] में भी जीवण पुत्र परसा के खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण [illegible] पुत्र परसा के विधिक वा[illegible] होने के कारण उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में जीवण पुत्र परसा के हिस्से की भूमि का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:35:06 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. [illegible] (फा. ट्रै.)
नवलगढ़

–:: **आदेश** ::–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1352 रकबा 0.0500 है0 में वादीगण संख्या 01 लगायत 06 प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 24.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:35:06 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

दावा बाबत : घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 37 / 2024 **(रामकरण बनाम संतरा आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 24.01.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम खिरोड की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1352 रकबा 0.0500 है0 में वादीगण संख्या 01 लगायत 06 प्रत्येक को 1 / 12–1 / 12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 24.01.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा॰ट्रे॰) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:35:06 IST
Reason: SelfAttested